संख्या:— 2314 /62—3—2010— /2010

प्रेषक,

एन0एस0 रवि,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री उमा शंकर,
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, अनुभाग—3 लखनऊ: दिनांक : 22 जुलाई, 2010

विषय :— **मैक्सफाल्ट का समुचित रखरखाव किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनॉक 17.07.2010 को मुहल्ला पुतलीघर, रूखड़ घाट स्थित ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड—मिर्जापुर के केन्द्रीय स्टोर में स्थापित तारकोल (मैक्सफाल्ट) टैंक से सटे डा0 आर0एन0 प्रसाद, उप निदेशक, पशुपालन, मण्डल मिर्जापुर का आवास एवं ऑगन की दीवार अवस्थित है। गरम तारकोल धरातल से ऊपर लगभग 6 फुट भरा होने के कारण ऑगन की दीवार गरम तारकोल का वजन व दबाव न झेल पाने के कारण फट गयी और गर्म तारकोल डा0 आर0एन0 प्रसाद, उप निदेशक पशुपालन मिर्जापुर मण्डल के ऊपर गिरा जिससे वह जल गये, फलस्वरूप उनका दिनॉक 22.07.2010 को निधन हो गया है। यह अप्रिय घटना नितान्त दुखद है और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति प्रदेश के अन्य जनपदों में केन्द्रीय स्टोर अथवा मैक्सफाल्ट के रखरखाव में असावधानी के कारण न हो अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि:—

(1) प्रदेश के समस्त जनपदों में जहॉ कहीं भी मैक्सफाल्ट का रखरखाव आबादी के अन्दर है उन्हें गैर आबादी वाले सुरक्षित क्षेत्र में करने के लिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मैक्सफाल्ट के रखरखाव हेतु लोक निर्माण विभाग और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्या मानक हैं ? मानकों को प्राप्त कर उसके अनुसार मैक्सफाल्ट के रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा इस हेतु Security and Maintenance Protocol सर्वोच्च प्राथमिकता पर लागू किया जाय।

(3) जब तक इस प्रकार के मानक के अनुरूप मैक्सफाल्ट के रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित न हो सके तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत मैक्सफाल्ट का रखरखाव आबादी से बाहर करते हुए उसका दायित्व संबंधित अधिशासी अभियंता को सौंपा जाय जिनके द्वारा इसका मासिक निरीक्षण एवं समुचित अनुरक्षण का अनुश्रवण किया जाय।

(4) निदेशक एवं मुख्य अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर के अभियंतागण जब भी किसी जनपद के निरीक्षण में जाएंगे वे बिटुमिन स्टोर का निरीक्षण अवश्य करेंगे और निरीक्षण में पायी गयी कमियों एवं तद्विषयक सुझावों को संबंधित अधिशासी अभियंता और स्टोर इन्चार्ज को स्थल पर ही दे देंगे और उसका उल्लेख अपनी निरीक्षण आख्या में स्पष्ट रूप से करेंगे।

(5) जनपद मिर्जापुर में घटित घटना में हुई क्षति का ऑकलन कर आख्या शासन को प्रस्तुत की जाय।

2— कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
22-7-10
(एन0एस0 रवि)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 2314 (1)/62—3—2010, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2— अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, परिमण्डल—आगरा, मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, फैजाबाद, लखनऊ, झॉसी।

3— समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
22/7/10
(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव।